

F. No. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1) [Comp. No. 4550]

Food Safety and Standards Authority of India
(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
(Regulatory Compliance Division)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002

Dated, 13th March, 2026

ORDER

Subject: Implementation of revised turnover threshold for food businesses under Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 - reg.

The Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 were notified under the Food Safety and Standards Act, 2006 for regulating the licensing and registration of Food Business Operators (FBOs) across the country wherein different turnover threshold and criteria's were implemented for categorization i.e Registration, State license and Central license.

2. Based on recommendations of NITI Aayog's High Level Committee on Non-Financial Regulatory Reforms and subsequent approval of Food Authority and Ministry of Health and Family welfare, the Food Safety and Standards Authority of India has notified the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) amendment Regulations, 2026 vide Gazette Notification No. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1) dated 10.03.2026 relating to provisions for addressing dual compliance requirements for registration of street food vendors, perpetual validity of FSSAI registration and license subject to risk-based inspections and enabling provisions for specifying turnover thresholds and other categorisation criteria by the Food Authority.

3. As per the aforesaid amended regulation, the Food Authority may specify turnover threshold/eligibility criteria for granting registration or license for various food business from time to time. Accordingly, in exercise of the powers conferred under aforesaid regulations, the Food Authority hereby implemented **revised turnover threshold for food businesses as follows:**

Type	Threshold Limits
Registration	Turnover up to Rs. 1.5 crore
State License	Turnover above Rs. 1.5 crore and up to Rs. 50 crore
Central License	Turnover above 50 Cr

4. This supersedes all other earlier orders and regulations with respect to turnover thresholds or criteria specified under Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 for categorisation of Food Businesses.

5. This revised turnover thresholds will come into effect from 01.04.2026.

This issues with the approval of Competent Authority.

Digitally signed by
Sweety Behera
Date: 13-03-2026
17:40:55

Sweety Behera
Director (Regulatory Compliance)

To:

1. All Food Business Operators
2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
3. Directors of all Regional Offices, FSSAI
4. CTO, FSSAI - with a request for uploading on the FSSAI website

Copy for information to:

1. PPS to Chairperson, FSSAI
2. PS to CEO, FSSAI
3. Executive Director - Compliance Strategy

फा. सं. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1) [Comp. No. 4550]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण)
(नियामक अनुपालन प्रभाग)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

दिनांक: 13th मार्च, 2026

आदेश

विषय: खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत खाद्य व्यवसायों के लिए संशोधित टर्नओवर सीमा के क्रियान्वयन के संबंध में।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 अधिसूचित किए गए थे, जिनके माध्यम से देशभर में खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण को विनियमित किया जाता है। इन विनियमों के अंतर्गत खाद्य व्यवसायों को विभिन्न श्रेणियों जैसे पंजीकरण, राज्य लाइसेंस एवं केंद्रीय लाइसेंस में वर्गीकृत करने हेतु विभिन्न टर्नओवर सीमाएँ एवं अन्य मानदंड निर्धारित किए गए थे।

2. नीति आयोग की गैर-वित्तीय नियामकीय सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं तथा खाद्य प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के उपरांत, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 को राजपत्र अधिसूचना सं. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1) दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से अधिसूचित किया है जिसमें स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए दोहरे अनुपालन आवश्यकताओं को संबोधित करने, जोखिम-आधारित निरीक्षणों के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पंजीकरण और लाइसेंस की शाश्वत वैधता और खाद्य प्राधिकरण द्वारा कारोबार सीमा और अन्य वर्गीकरण मानदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम प्रावधान शामिल हैं।

3. उपर्युक्त संशोधित विनियमों के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर विभिन्न खाद्य व्यवसायों के लिए पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्रदान करने हेतु टर्नओवर सीमा / पात्रता मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है। तदनुसार, उक्त विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य व्यवसायों के लिए संशोधित टर्नओवर सीमा निम्नानुसार लागू की जाती है:

प्रकार	टर्नओवर सीमा
पंजीकरण	₹1.5 करोड़ तक का टर्नओवर
राज्य लाइसेंस	₹1.5 करोड़ से अधिक तथा ₹50 करोड़ तक का टर्नओवर
केंद्रीय लाइसेंस	₹50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर

4. यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत खाद्य व्यवसायों के वर्गीकरण हेतु निर्धारित टर्नओवर सीमा या मानदंडों से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेशों/प्रावधानों का स्थान लेगा।

5. संशोधित टर्नओवर सीमा दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होगी।

6. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Sweety Behera
Date: 13-03-2026
17:43:39

(स्वीटी बेहेरा)

निदेशक (नियामक अनुपालन)

To:

1. All Food Business Operators
2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
3. Directors of all Regional Offices, FSSAI
4. CTO, FSSAI - with a request for uploading on the FSSAI website

Copy for information to:

1. PPS to Chairperson, FSSAI
2. PS to CEO, FSSAI
3. Executive Director - Compliance Strategy